भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5498

05 अप्रैल, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों में भविष्य निधि न्यास

5498. कुमारी राम्या हरिदास:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की सभी इकाइयों में कार्यरत भविष्य निधि न्यासों (पीएफटी) की संख्या का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक न्यास का नाम क्या है और इनके पंजीकृत सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान सेल के प्रत्येक भविष्य निधि न्यास द्वारा अपने सदस्यों को दिए गए ब्याज की दर का न्यास-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेल की प्रत्येक इकाई में समेकित भविष्य निधि न्यास के बजाय स्वतंत्र भविष्य निधि न्यास होने का क्या औचित्य है और उक्त न्यासों को समेकित करके परिचालन लागत को कम न किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) और (ख): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के सभी संयंत्रों/इकाइयों में कार्यरत भविष्य निधि न्यास, प्रत्येक पीएफ न्यास का नाम, उसके साथ पंजीकृत सदस्यों की संख्या और विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक पीएफ न्यास द्वारा भुगतान किए ब्याज दर का ब्यौरा **अनुलग्नक-क** में संलग्न है।

(ग): सेल की प्रत्येक इकाई के पास एक एकीकृत भविष्य निधि न्यास होने के बजाए अपनी स्वयं की स्वतंत्र भविष्य निधि न्यास होने और उक्त न्यासों को एकीकृत करके प्रचालनात्मक लागत को कम नहीं करने का औचित्य निम्नानुसार है:-

संयंत्रों/इकाइयों में पीएफ न्यासों का गठन ईपीएफ और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के प्रावधानों और इसके नियमों/शर्तों के अनुसार किया गया था। अधिनियम की धारा 17 के तहत पीएफ प्राधिकारियों द्वारा छूट प्रदान की गई है। यह भविष्य निधि की प्राप्तियों का उचित लेखा-जोखा, प्रत्येक संयंत्र/इकाई द्वारा भविष्य निधि से समय पर भुगतान और इसके सदस्यों की सेवा/दावा निपटान में सुगमता आदि को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

****

<u>अनुलग्नक-क</u>

क्र. सं.	प्रतिष्ठान का नाम	न्यास का नाम	29 मार्च 2023 तक सदस्यों की संख्या (लगभग)	ब्याज की दर					
				वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22
1.	भिलाई इस्पात संयंत्र	बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई स्टील प्रोजेक्ट प्रोविडेंट फंड	17014	8.90%	9.15%	8.72%	8.50%	8.50%	8.10%
2.	सेल-रिफ्रेक्ट्री यूनिट आईएफआईसीओ	इंडिया फायर ब्रिक इन्सुलेशन पीएफ ट्रस्ट	158	8.65%	8.55%	8.65%	8.50%	8.50%	8.10%
3.	सेल-रिफ्रेक्ट्री यूनिट	भारत रिफैक्ट्रीस प्रोविडेंट फंड	374	8.90%	8.55%	8.65%	8.50%	8.50%	8.10%
4.	सेल- सीसीएसओ	सीसीएसओ प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट	53	8.80%	8.65%	8.65%	8.50%	8.70%	8.10%
5.	रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील (आरडीसीआईएस)	हिंदुस्तान स्टील प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट	446	8.65%	8.55%	8.65%	8.50%	8.50%	8.10%
6.	बोकारो इस्पात संयंत्र	बोकारो स्टील एम्पलयॉज प्रोविडेंट फंड (बीएसईपीएफ)	12090	8.65%	8.55%	8.65%	8.65%	8.50%	8.10%
7.	विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड	वीआईएसपी एम्पलयॉज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट	264	8.65%	8.55%	8.65%	8.65%	8.75%	8.35%
8.	राउरकेला इस्पात संयंत्र	हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कन्ट्रीब्यूट्री प्रोविडेंट फंड, राउरकेला	12899	8.65%	8.55%	8.65%	8.50%	8.50%	8.10%
9.	बोलानी अयस्क खदान	बोलानी खदान प्रोविडेंट फंड	518	8.90%	8.65%	8.65%	8.50%	8.75%	8.10%

10.	इस्को इस्पात संयंत्र	इस्को प्रोविडेंट इंस्टीट्यूशन इस्को प्रोविडेंट इंस्टीट्यूशन वर्क्स	7073	9.00%	8.80%	9.00%	8.76%	8.80%	8.35%
11	सेल- कच्चा माल प्रभाग*	सेल आरएमडी इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज एंप्लॉई प्रोविडेंट फंड	0	8.65%	8.65%	8.80%	8.50%	8.50%	लागू नहीं*
12	सेल-अलॉय इस्पात संयंत्र	सेल अलॉय स्टील प्लांट पीएफ ट्रस्ट	2916	9.00%	8.55%	8.65%	8.50%	8.50%	8.15%
13	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट	8164	9.05%	8.80%	8.65%	8.50%	8.50%	8.60%
14	सेल-केन्द्रीय विपणन संगठन	हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, सेंट्रल परचेस ऑर्गनाइजेशन, सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट कलकत्ता प्रोविडेंट फंड	986	8.65%	8.55%	8.65%	8.50%	8.50%	8.50%
15	सेल-सेलम इस्पात संयंत्र	एसएसपी पीएफ ट्रस्ट	804	8.65%	8.55%	8.65%	8.50%	8.50%	8.10%
16	सेल-निगमित कार्यालय, नई दिल्ली	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट	351	9.00%	9.00%	8.90%	8.875%	8.875%	8.63%
17	कोलियरिज**	कोल प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन	938	8.60%	8.50%	8.60%	8.50%	8.50%	8.00%
	कुल		65048						

* 30 जून, 2021 को कच्चा सामग्री प्रभाग का पुनर्गठन किया गया और इसके कर्मचारियों को सेल की विभिन्न इकाइयों में स्थानांतरित कर दिया गया।

** कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 द्वारा शासित।